

01/2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चाकसू कैम्प.....राजेसी.....

क्रमांक: राजस्व/2021/

दिनांक : / /2021

आदेश

आवेदक श्री.....ने  
तहसील कोटखावदा में ग्राम.....स्थित आराजी  
ख.न.....के संबंध में जमाबन्दी  
सम्बत्.....के खाता संख्या.....पर अंकित प्रविष्टि  
दुरुस्त कराने हेतु आवेदन पेश किया। पटवारी हल्का द्वारा जाँच की जाकर ग्राम  
.....की जमाबन्दी के खाता संख्या.....की प्रविष्टि के  
स्थान पर.....  
किया जाना उचित बताया है। तहसीलदार कोटखावदा द्वारा भी अपनी रिपोर्ट के  
अनुसार जमाबन्दी में अंकित प्रविष्टि दुरुस्त करने की अभिशंषा की है।

अतः राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत  
पटवारी हल्का.....की रिपोर्ट व तहसीलदार कोटखावदा  
की अभिशंषा के आधार पर प्रार्थी श्री.....पुत्र  
श्री.....जाति.....निवासी.....  
.....तहसील कोटखावदा के आवेदन पर जमाबन्दी सम्बत्.....  
के खाता संख्या.....में अंकित प्रविष्टि.....  
.....के स्थान पर.....

किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन  
किया जावे।

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)  
दिनांक : / /2021

क्रमांक: राजस्व/2021/

- प्रतिलिपि निम्न को पालनार्थ प्रेषित है-  
1. तहसीलदार.....  
2. पटवारी हल्का.....

शिविर प्रभारी  
उपखण्ड अधिकारी  
चाकसू (जयपुर)